

E-mail

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

संख्या:-V/उ0-1-06/2018-792 / श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद को विभागीय अधिसूचना संख्या-2743 दिनांक-27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिये जाने एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2962 दिनांक-29.08.2018 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दंड निरस्त करते हुए सेवा में पुनःस्थापन के फलस्वरूप इन आदेशों के मध्य दिनांक-27.06.2014 से दिनांक-28.08.2018 तक की अवधि में वेतन-भत्ता का भुगतान का मामला विभाग के विचाराधीन था।

2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद के विरुद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी का दंडादेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-13744/2014 में निरस्त करने का आदेश पारित है, जिसके विरुद्ध विधि विभाग द्वारा एल0पी0ए0 दायर करने का मामला बनता नहीं प्रतीत होता है, का परामर्श दिया गया है, के आलोक में उक्त अवधि में बर्खास्तगी से पूर्व में प्राप्त वेतन एवं भत्ते का 100% (शत प्रतिशत) भुगतान करने का विनिश्चय किया गया है।

3. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 13(3) के अधीन श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध), खगड़िया को दिनांक-27.06.2014 से दिनांक-28.08.2018 तक सेवा से बर्खास्तगी एवं पुनःस्थापन के बीच की अवधि में बर्खास्तगी से पूर्व में प्राप्त वेतन एवं भत्ते का 100% (शत प्रतिशत) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-05.03.19

ज्ञापांक:- V/उ0-1-06/2018

792

प्रतिलिपि:-1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, निरीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया /प्रशाखा पदाधिकारी-8 ए/प्रशाखा पदाधिकारी-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

513/19

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

513/19